राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–राजपत्रित/डीपीसी/एसीआर/2017/ 391 दिनांक 08-11-17

उप महानिरीक्षक, आर.ए.सी., राजस्थान।
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, राजस्थान।
समस्त अधीक्षक, संबद्ध चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विषयः– चिकित्सकों द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का अवलोकन कर सहमति देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.13(51)क./क–1/गो.प्र./2012 दिनांक 22.02.2013 के निर्देशानुसार विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों को प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता की टिप्पणी से सहमति प्रकट करते हुए अवलोकन कर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अपने हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है। उक्त सहमति के बिना कार्मिक विभाग द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार नहीं की जा रही है

विभाग में कार्यरत समस्त चिकित्सकों को प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता की टिप्पणी से सहमति प्रकट करने हेतु निदेशालय में 2 माह की अवधि में व्यक्तिशः उपस्थित होकर उपलब्ध वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों का अवलोकन कर अपने हस्ताक्षर अंकित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें। वेबसाईट पर पत्र प्रकाशित/अपलोड होने के दो माह पश्चात् चिकित्सक द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का अवलोकन सीधे ही कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग में किया जावे।

अतः आपके अधीनस्थ कार्यरत चिकित्सकों को अपनी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अवलोकन करने हेतु पाबंद कर निदेशालय में भिजवाने का श्रम करावें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि चिकित्सा संस्थानों में राजकार्य प्रभावित नहीं हो तथा उक्त कार्य हेतु चिकित्सकों को उपस्थिति एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–राजपत्रित/डीपीसी/एसीआर/2017/ 391 दिनांक 08-11-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वरी रूम, मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर सभी संबंधित को ई–मेल करना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर